UPHM010034922022

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम, हमीरपुर।

पीठासीन अधिकारी– (SUSHIL KUMAR KHARWAR), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –**

J.O. Code –UP06498

जमानत प्रार्थना पत्र सं०-1668/2022

रामपाल उम्र 28 वर्ष पुत्र शंकर कुशवाहा उर्फ शंकरलाल, निवासी ग्राम बसवारी, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर, उ0प्र0।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0प्र0 द्वारा ए0डी0जी0सी0 .....विरुद्ध पक्ष

मु0अ0सं0–74 / 2022
धारा–498ए, 304बी भादं0सं0 व
धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0
थाना– मुस्करा, जिला हमीरपुर।

12-10-2022

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी / अभियुक्त रामपाल पुत्र शंकर कुशवाहा उर्फ शंकरलाल की ओर से मु०अ०सं०–74 / 2021 अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी भादं0सं0 व धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर में दिया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी विजय पाल कुशवाहा पुत्र गुल्ला कुशवाहा निवासी ऐचाना थाना खरेला जिला महोबा का मूल निवासी है, उसने अपनी पुत्री रिशु की शादी 15 जुलाई 2021 मे बसवारी के रामपाल पुत्र शंकरलाल कुशवाहा के यहाँ रीति रिवाज के अनुशार शादी की थी, दिनाँक 11.05.2022 को रामपाल ने शाम 6 बजे रिशु द्वारा फाँसी लगाने की सूचना दी और कहा कि उसकी लडकी अस्पताल मे भर्ती है और आप लोग आ जाओ, प्रार्थी विजयपाल को पता चला कि उसकी पुत्री रिशु को दहेज को लेकर प्रताड़ित करते रहते थे और उसकी पुत्री को रामपाल ने जान बूझकर मार डाला है।

प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि यह कि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की यह कहानी बिल्कुल झूठी है। वादी, जो मृतका का पिता है, ने एफ0आई0आर0 मे यह अंकित कराया है कि ''..... प्रार्थी विजयपाल को पता चला कि मेरी पुत्री को दहेज को लेकर प्रताडित करते रहते थे.....'' । इससे स्पष्ट होता है कि वादी को दहेज मांगने व उसके लिए प्रताडित करने के तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी नही है। शादी के बाद से ही मृतका सामान्य नहीं रही इस बात की शिकायत प्रार्थी ने वादी को कई बार दी। ऐसा प्रतीत होता था कि मृतका इस शादी से खुश नहीं थी। वह बात बात मे अकारण गुस्सा दिखाती थी और अपने पति का तिरस्कार करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतका ने अपने निजी कारण से आत्महत्या की है। कभी भी प्रार्थी व उसके घर के सदस्यो ने किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नही की और न कभी मृतका को प्रताडित किया इसी कारण एफ0आई0आर0 मे स्पष्ट नही है कि अभियुक्तगण दहेज मे क्या मांगते थे। वादी ने पुत्री की मृत्यु के आवेश में तथा अभियुक्तगण का आर्थिक शोषण करने के लिए झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई

है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी का यह प्रथम जमानत आवेदन है, अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी मृतका रीशू से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व जंजीर की मांग को लेकर मानसिक व शरीरिक रूप से प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर हत्या करते हुए, दहेज हत्या जैसी जघन्य घटना कारित की है। घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाये गये हैं। अतः अपराध की प्रकृति, उसकी गम्भीरता तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

मृतका श्रीमती रिशु पत्नी रामपाल कुशवाहा उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बसवारी थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर का पंचायतनामा दिनांक 12.05.2022 को दिवाकर मिश्र नायब तहसीलदार मौदहा के द्वारा किया गया। उन्होंने पंचान नियुक्त किया। पंचान द्वारा अपनी राय में मृतका रीशु की मृत्यु फांसी लगाने से होना अंकित किया है।

मृतका रीशु के शव का पोस्टमार्टम दिनांक 12.05.2022 को समय 02.45 पी.एम. से 04.00 पी.एम. तक मार्चरी राठ में डॉ. बीरपाल सिंह द्वारा किया गया जिसमें मृत्यु का कारण Asphexia Due to Antimortem Hanging अंकित किया गया है।

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुनील कुमार की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। अभियुक्त मृतका रीशु का पति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग कर, प्रताड़ित कर व फांसी लगाकर जान से मार डालने का आरोप लगाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमोर्टम इंजरी मृतका के गले में होना दर्शाया गया है। मृतका रीशु की मृत्यु विवाह के 01 वर्ष के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में हुई है। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। पत्रावली में अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया जा चुका है। पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना एवं दहेज हत्या से सम्बन्धित प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति को देखते हुए उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रामपाल की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को आदेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

(सुशील कुमार खरवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी.- प्रथम, हमीरपुर।

दिनांक- 12-10-2022

ADJ/FTC-I, Hamirpur.
Digitally signed by SUSHIL KUMAR KHARWAR
Date: 2022.10.12 16:50:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court